

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

परिवाद संख्या – 45/2022

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1. विजय सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी गु.पो. लादडिया तहसील व जिला चुरू। फर्म:- गुरुकृपा होटल, खसरा नम्बर 264/84 गोठडा तहसील जायल जिला नागौर। 2. पप्पूराम पुत्र आशाराम गु.पो. फिरोजपुरा वाया कुचेरा तहसील मारवाड मूण्डवा व जिला नागौर। फर्म:- गुरुकृपा होटल, खसरा नम्बर 264/84 गोठडा तहसील जायल जिला नागौर।

आदेश

दिनांक :13.08.2022

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 20-04-2022 को मैसर्स गुरुकृपा होटल, खसरा नम्बर 264/84 गोठडा तहसील जायल जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ दही (पाश्चुरीकृत डबल टोण्ड दूध) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1879 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/663/एक्ट/2022/514 दिनांक 28.04.2022 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ दही (पाश्चुरीकृत डबल टोण्ड दूध) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण विजय सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी गु.पो. लादडिया तहसील व जिला चुरू तथा पप्पूराम पुत्र आशाराम गु.पो. फिरोजपुरा वाया कुचेरा तहसील मारवाड मूण्डवा व जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ. एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 27.06.2022 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 13.08.2022 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने हमारी दुकान से दही का सैम्पल लिया जो जांच में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। भविष्य में दही बेचते समय गुणवत्ता को ध्यान में रखकर बेचेंगे। हम छोटे दुकानदार हैं तथा मजदुरी करके गुजारा करते हैं। लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करते हैं तथा दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/663/एक्ट/2022/514 दिनांक 28.04.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ दही (पाश्चुरीकृत डबल टोण्ड दूध) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 विजय सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी गु.पो. लादडिया तहसील व जिला चुरू तथा अप्रार्थी संख्या 02 पप्पूराम पुत्र आशाराम गु.पो. फिरोजपुरा वाया कुचेरा तहसील मारवाड मूण्डवा व जिला नागौर पर संयुक्त रूप से रूपये 10,000/- अक्षरे दस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयवधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते हैं तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)